

प्रेस नोट दिनांक – 12.11.2020

इटावा पुलिस द्वारा हत्या जैसी संगठित अपराध कारित करने वाले एवं गैंगस्टर अपराधी के विरुद्ध 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए 500000 रुपये की संपत्ति की गयी जप्त ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री आकाश तोमर के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा तथा क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना इकदिल पुलिस द्वारा हत्या जैसे संगीन अपराध कारित करने वाले तथा गैंगस्टर अपराधी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए वांछित अभियुक्त की 01 रिमॉल्ट विवड कार (कीमत 500000रु०) की सम्पत्ति की कुर्की की गयी।

संक्षिप्त विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही करने हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना इकदिल द्वारा भादवि के अध्याय में वर्णित अपराध कारित के अभ्यस्थ अपराधी होने तथा गैंग लीडर अपने गैंग के साथ मिलकर अपने व अपने गैंग के सदस्यों के आर्थिक एवं भौतिक लाभ हेतु अवैध शस्त्रों से लेस होकर हत्या जैसे जघन्य अपराध करने के अपराधी होने के कारण अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए थाना इकदिल पर मु०अ०सं० 272/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

उपरोक्त पंजीकृत किये गये अभियुक्त में नामित अभियुक्त अनुज भदौरिया पुत्र रवि सिंह भदौरिया निवासी ग्राम रितौर थाना इकदिल जनपद इटावा को थाना इकदिल पुलिस द्वारा पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अभियुक्त के गिरफ्तार होने के उपरान्त अभियुक्त द्वारा अपराध कारित करके अर्जित की सम्पत्ति के विरुद्ध कार्यवाही हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना इकदिल द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा-14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम की कार्यवाही की स्वीकृती हेतु आख्या जिलाधिकारी इटावा के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी। जिसके क्रम में जिलाधिकारी इटावा द्वारा अभियुक्त की सम्पत्ति की कुर्की हेतु दिनांक 29.08.2020 को आदेश निर्गत किये गये थे। जिसके सम्बन्ध में कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 12.11.2020 को थाना इकदिल पुलिस अभियुक्त द्वारा अपराध कारित करके एवं अवैध रूप संपत्ति अर्जित करके खरीदी गयी 01 रिमॉल्ट विवड कार यूपी 75 एसी 2327 का जल्तीकरण किया गया। इससे पूर्व में भी दिनांक 20.10.2020 को अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 01 मोटर साइकिल को भी जप्त किया गया था।

जल्ती/बरामदगी-

1. 01 रिमॉल्ट विवड कार यूपी 75 एसी 2327

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 153/2020 धारा 302,34 भादवि थाना इकदिल जनपद इटावा।
2. मु०अ०सं० 154/2020 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट अधिनियम थाना इकदिल जनपद इटावा।
3. मु०अ०सं० 272 /2020 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट अधिनियम थाना इकदिल जनपद इटावा।
4. मु०अ०सं० 448/2015 धारा 323,506,427 भादवि थाना इकदिल जनपद इटावा।

पुलिस टीम- श्री मदन गोपाल गुप्ता प्रभारी निरीक्षक थाना इकदिल मय पुलिस टीम।

मीडिया सेल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जनपद इटावा।